

215-9  
2014/00083

तारीख ह्वम

31917 - ब्रजमोहन बनाम तहसीलदार रेंजी

ह्वम माकायवादा मय दनिंगयन रूप

प.सं - 12/35/2014 दिनांक 18.09.2014

नम्बर  
अतिरिक्त  
जिला कलकत्ता  
द्वितीय अलवर

24/4/22

आज पत्राकली पेश हुई अपीलान्ट  
वकील द्वारा जो अपीलान्ट  
की बहल हुई गई। पत्राकली वाकले  
कादेशा दिनांक 25/4/22 को पेश हुई

अतिरिक्त जिला कलकत्ता  
(द्वितीय) अलवर (राज.)

25/4/22

आज यह पत्राकली पेश हुई, पत्राकली का  
अवलोकन किया गया, यह अपीलान्ट  
राजस्थान भू-राजस्व आयोग अधिनियम 1356  
की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार  
रेंजी के निर्णय दिनांक 11.9.2014 को  
विकसित पेश की गई है। अपीलान्ट  
राजस्थान भू-राजस्व-ट के नोटिफ  
करी कर तहत अडासत कर रिवाज  
तथा जिला गणना अपीलान्ट वकील  
की बहल हुई गई, वकल बहल वकील  
अपीलान्ट द्वारा मौखिक रूप से अकाल  
पुराणा है। अपीलान्ट ब्रजमोहन  
नोट हो चुका है, साफ ही श्रुत्युक्त  
पत्र की दृष्टावधि भी पेश कि गई है,  
जो शामिल फिलेज है। कौर निकोडा  
जिला गणना कि अपीलान्ट की श्रुत्युक्त  
जाने के उपरान्त अपीलान्ट को अकाल  
चलाया जाना न्याय संगत नहीं है।  
अपीलान्ट का रिजल्ट नकारात्मक है।

अतः अपील अपीलान्ट की  
श्रुत्युक्त होने के कारण अपीलान्ट में  
आगे कार्यवाही किया जाया उचित  
प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्ट  
कारिज कि जाती है। अपीलान्ट के अती  
लफ्तकडेहा दिनांक 18.9.14 को कारिज  
किया गया है। आदेशिका की

अतिरिक्त जिला कलकत्ता  
(द्वितीय) अलवर (राज.)

रीस हब

वम या कार्यवाही मय इतिष्यत्य जज

मम्बर व क्वीस  
अहकाम बी इस  
हुन की बालीम  
में जारी हुए

प्रमाणित प्रती तहत अडाकता को तहत  
रिपोर्ट के साथ काफिल मिजकाई पाके।  
प्रमाणित प्रती तहत अडाकता को तहत  
ले कर भी आवक प्रमाणित काड  
तकनीक डायलिस अला रिपोर्ट ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
(द्वितीय) अहमद (राज०)

25/4/2022